14/9/10 पत्रावली पेश हुई। बहुलाए फरीकैन उप. । मूल प्रार्थना पत्र 25 A R/A स्वीकृत किया गया है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहते के इहतार किये। अतः दिनांक 8.5.2010 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूल प्रार्थना पत्र 25 A R/A निरस्त व प्रार्थना पत्र 212 R/A चलाना नहीं चाहते के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहते